

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
24/021	212 RTA	डेडी	इकडा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
छीतर		बनाम	सरकार
वकील :-		आदेश पत्रक	वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

17/6/21

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/7/21 को पेश हो।

M

13/7/21

न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में बाधित होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1.8.21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

18/8/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी सीके कुमर के ओर से श्री अजय कुमार श्री कालूच का वकील तलव पेश हुआ। जो पत्रावली हेतु सम्मन जारी है वास्ते पत्रावली पत्रावली दिनांक 29/9/21 को पेश हो।

M

25/7/22

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में शिविर..... पर पत्रावली पेश नहीं हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक 27/4/22 को पेश हो।

3
 श्रीमान् न्यायालय
 अन्तर्गत न्यायाधीशों के अन्य कार्य में
 बाध होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
 दिनांक 25/4/23 ... को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

11/7/23

पत्रावली MRC केसों के बाद पूर्ववत् स्थिति में आर पेश
 हुई। कौशल प्रार्थी अनुपस्थित है। तीन बार भाजज
 पुनर्वाही गई। कोई उपास्थित नहीं। प्रथम अदम
 हाजरी अदम पेश की स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली
 कौशल सुकर हाकर दाखिल दफतर है।